

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मई 2015—वैशाख 11, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2015

क्र. एफ. 5-50-2010-बी-3-दो.—राज्य शासन एतद्वारा पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 46 की उपधारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त रेग्यूलेशन में, भाग 2 अध्याय 2 खंड 2 के विनियम 80 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“विनियम 80:—इनामों का प्रदाय-वर्ग (ब) (i)” के इनाम निम्न प्रकार होंगे—

इनाम की प्रकृति (1)	स्वीकृत करने वाला अधिकारी (2)	रकम की सीमाएं (3)
(i) अपराधी को गिरफ्तार करने के लिये या अपराध पता लगाने में जानकारी, बिना पूर्व उद्घोषणा के.	1. पुलिस महानिदेशक 2. महानिरीक्षक पुलिस 3. उप महानिरीक्षक पुलिस 4. पुलिस अधीक्षक	50,000/- 30,000/- 20,000/- 10,000/-

No. F. 5-50-2010-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of Section 46 of the Police Act, 1861 (No. V of 1861), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Police Regulation, namely :—

AMENDMENTS

In the said regulation, in Section II of Chapter II Part II for regulation 80, the following regulation shall be substituted namely :—

“Regulation 80-Rewards payment of Rewards of class (b) (i) will be as follows:—

Name of the Reward (1)	Sanctioning Officer (2)	Money Limits (3)
(i) For the apprehension of a criminal or information leading to the detection of an offence without Previous proclamation.	1. Director General of Police 2. Inspector-General of Police 3. Deputy Inspector-General of Police 4. Superintendent of Police	50,000/- 30,000/- 20,000/- 10,000/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

आदिम जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2015

क्र. एफ-12-19-2006-25-2.—मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पत्र क्र. एफ-12-19-2006-2-25, दिनांक 26 सितम्बर 2006 द्वारा विद्यार्थी कल्याण सहायता नियम, 1984 निरस्त करते हुये विद्यार्थी कल्याण सहायता नियम, 2006 लागू किया गया है.

योजना की कंडिका 5 के क्रमांक 1अ में छात्रावास/आश्रम में निवास रहते हुए मृत्यु होने पर विद्यार्थी के पालकों को रुपये 25,000/- की सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है. कुछ जिलों द्वारा अस्वाभाविक मृत्यु की स्थिति पर वित्तीय सहायता हेतु स्पष्टीकरण चाहा गया है. अतः उक्त प्रावधान में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है.

शासन की देखरेख के अधीन रहते हुए संचालित विद्यालय, छात्रावास, आश्रम, खेल परिसर में किसी भी विद्यार्थी की किन्हीं भी कारणों से असामयिक मृत्यु होती है तो विद्यार्थी के पालकों को विद्यार्थी कल्याण सहायता नियम, 2006 के अंतर्गत रुपये 25,000/- की सहायता राशि देय होगी.

शासन के आदेश क्रमांक एफ-12-19-2006-2-25 (पार्ट नस्ती) दिनांक 18 जुलाई 2011 द्वारा कलेक्टर को स्वीकृति के पूर्ण अधिकार प्रदत्त हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मीनाक्षी मालवीय, अवर सचिव.

विमानन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. एफ. 1-10-2001-पैतालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विमानन विभाग (राजपत्रित-तकनीकी) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“9-क. **निरहता.**—किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, सरकार द्वारा परीक्षा/चयन के लिए निरहता माना जा सकेगा.

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिये निरहता नहीं होगा.

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में मामला लंबित है तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक प्रकरण के विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा.”

2. अनुसूची-एक में, शीर्षक “अभियंता” के अधीन अनुक्रमांक 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“फ्लाइट आपरेशन सेल

1. फ्लाइट सेफ्टी आफिसर	1	प्रथम	37400—67000+10000 ग्रेड वेतन
2. मेटेनेंस मैनेजर	1	प्रथम	37400—67000+10000 ग्रेड वेतन
3. फ्लाइट आपरेशन्स आफिसर	1	प्रथम	37400—67000+8700 ग्रेड वेतन
4. क्वालिटी मैनेजर	1	प्रथम	37400—67000+8700 ग्रेड वेतन
5. फ्लाइट डिस्पेचर	1	द्वितीय	15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
6. कन्टीन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजर	1	द्वितीय	9300—34800+4200 ग्रेड वेतन
7. फ्लाइट आपरेशन असिस्टेंट	1	द्वितीय	9300—34800+4200 ग्रेड वेतन

3. अनुसूची-दो में, शीर्षक "अभियंता" के अधीन अनुक्रमांक 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

"फ्लाइट आपरेशन सेल

1. फ्लाइट सेफ्टी आफिसर

- (क) भौतिक शास्त्र एवं गणित विषय के साथ स्नातक

या

मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी 10+2 (पद्धति) या समतुल्य परीक्षा भौतिक शास्त्र तथा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण तथा उड़ान (फ्लाईंग) अनुज्ञप्ति का धारक होना चाहिए.

या

एयर क्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग अनुज्ञप्ति.

- (ख) निम्नलिखित में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव:

विमान दुर्घटनाओं/घटना की जांच पड़ताल, सुरक्षा अंकेक्षण तथा दुर्घटना निवारण से संबंधित कार्य.

या

उड़ान कर्मी सदस्य, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे विमानों पर प्रचलन को अधिमानता.

या

विमान इंजीनियर के रूप में.

- (ग) महानिदेशक, सिविल एविएशन द्वारा अनुमोदित एविएशन संगठन में फ्लाइट सेफ्टी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा नियंत्रण का अनुभव रखने के साथ अच्छे प्रस्तुतीकरण कौशल तथा कम्प्यूटर साक्षर अभ्यर्थी को प्राथमिकता.

2. मेंटेनेंस मैनेजर

- (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति या समतुल्य परीक्षा भौतिक शास्त्र एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए.

- (ख) एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस अभियंता अनुज्ञप्ति का धारक.

- (ग) अनुभव—

(एक) एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ए.एम.ई. के रूप में कम से कम 10 वर्ष.

(दो) राज्य सरकार द्वारा संधारित वायुयान का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर अनुज्ञप्ति पर, कम से कम एक एन्डॉस होना चाहिए.

- (घ) रोटरी तथा फिक्सड वायुयानों के संधारण का अनुभव रखने तथा सिविल एविएशन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित मेंटेनेंस संगठन में प्रबंधकीय हैसियत में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी.

3. फ्लाइट आपरेशन्स आफिसर

- (क) हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति या समतुल्य परीक्षा भौतिकशास्त्र एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए.

- (ख) उड़ान अनुज्ञप्ति का धारक हो.

- (ग) रेडियो टेलीफोनी रेसट्रिक्टेड (ए) अनुज्ञप्ति धारक.

- (घ) कम से कम 10 वर्षों का—

(एक) उड़ान सुरक्षा के संबंध में विद्यमान विनियमों के अनुरूप उड़ान प्रचालन में,

(दो) सिविल एविएशन निदेशालय के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उड़ान प्रचालन से संबंधित समन्वय में,

- (तीन) उड़ान प्रचालन की प्रक्रिया व दस्तावेजों की गुणवत्ता का मानीटर करने का अनुभव.
- (ड) सिविल एविएशन रिकवायरमेंट में दक्ष एवं विस्तृत विमानन/तकनीकी शिक्षा तथा कम्प्यूटर साक्षर उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी.
4. क्वालिटी मैनेजर
- (क) भौतिकशास्त्र एवं गणित विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
- (ख) एयर क्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर अनुज्ञप्ति धारक हो.
- (ग) अनुभव—
- (एक) महानिदेशक, सिविल एविएशन द्वारा अनुमोदित मेंटेनेंस संगठन में क्वालिटी नियंत्रण तथा मेंटेनेंस को सम्मिलित करते हुए कम से कम 10 वर्षों का अनुभव.
- (दो) रोटरी तथा फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट में कम से कम 5 वर्षों का अनुरक्षण अनुभव.
- (तीन) सिविल एवीएशन रिकवायरमेंट्स-145 का कार्यसाधक अनुभव.
- (घ) महानिदेशक, सिविल एविएशन द्वारा अनुमोदित मेंटेनेंस संगठन में अभ्यर्थी क्वालिटी मैनेजर/डिप्टी क्वालिटी मैनेजर के रूप में अनुभव रखते हों, को प्राथमिकता.
5. फ्लाइट डिस्पेचर
- (क) बी.एस.सी. (विमानन)
या
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति या समतुल्य परीक्षा भौतिकशास्त्र एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए तथा विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक होना चाहिए.
- (ख) उड़ान अनुज्ञप्ति का धारक हो.
- (ग) रेडियो टेलीफोनी रेस्ट्रिक्टेड (ए) अनुज्ञप्ति धारक हो.
- (घ) अंग्रेजी भाषा में अच्छे सम्प्रेषण तथा लेखन कौशल वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता.
6. कन्टीन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजर
- (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति या समतुल्य परीक्षा भौतिक शास्त्र एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए.
- (ख) हैवी एयरक्राफ्ट एवं जेट इंजिन में बेसिक एविएशन मेंटेनेंस इंजीनियर की अनुज्ञप्ति या रोटरी तथा जेट इंजिन में वेसिक एविएशन मेंटेनेंस इंजीनियर अनुज्ञप्ति धारक.
- (ग) अनुभव :
- (एक) महानिदेशक, सिविल एविएशन द्वारा अनुमोदित संगठन में क्वालिटी तथा मेंटेनेंस का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव.
- (दो) राज्य सरकार द्वारा संधारित बेडा का ज्ञान.
7. फ्लाइट आपरेशन असिस्टेंट
- (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर के साथ स्नातक.
- (ख) सिविल एविएशन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित सिविल एविएशन तथा एविएशन आर्गेनाइजेशन के नियमों तथा संबंधित कागजी कार्य के ज्ञान सहित उसी सामर्थ्य में दो वर्षों का अनुभव.

F-1-10/2001/Forty-five.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Aviation Department (Gazetted-Technical) Service Recruitment and Service Condition Rules, 2003, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,

1. After rule 9, the following rule shall be inserted, namely :—

"9-A. **Disqualification.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for candidature by any means may be held by the Government to disqualify him for appearing in the examination/selection,

(2) No candidate shall be eligible for any service or post who has married before the minimum age fixed for marriage,

(3) No candidate shall be eligible for appointment to the service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day of January, 2001. in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for appointment to service or post who has been convicted of an offence against women:

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate, his case of appointment shall be kept in pending till the final decision of the criminal case".

2. In Schedule-I, under the heading "ENGINEER", after serial number 6 and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"Flight Operation Cell

1. Flight Safety Officer	1	First	37400-67000+10000 Grade pay
2. Maintenance Manager	1	First	37400-67000+10000 Grade pay
3. Flight Operations Officer	1	First	37400-67000+8700 Grade pay
4. Quality Manager	1	First	37400-67000+8700 Grade pay
5. Flight Dispatcher	1	Second	15600-39100+6600 Grade pay
6. Continuing Airworthiness Manager.	1	Second	9300-34800+4200 Grade pay

3. In Schedule-II, under the heading "ENGINEER", after serial number 6 and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be added, namely :—

"Flight Operation Cell

1 Flight Safety Officer	(a)	Graduate with the subjects Physics and Mathematics by recognized University.
-------------------------	-----	--

or

Must have passed Higher Secondary 10+2 (Pattern) or an equivalent examination with the subject of Physics and Mathematics from a recognized Board and holder of Flying Licence.

or

Aircraft Maintenance Engineering Licence.

- (b) At least 10 years experience in investigation of Aircraft accidents/incident, safety audits and accidents prevention work;

or

A flight crew member preferably on Type of aircrafts operated by the State Government.;

or

Experience as Aviation Engineer.

- (c) Preference to a candidate possessing experience to implement and control Flight safety programme in a Director General of Civil Aviation approved Aviation Organization with good presentation skills and computer literate.

2. Maintenance Manager

- (a) Must have passed Higher Secondary (10+2) pattern or an equivalent examination with a subject of Physics and Mathematics from a recognized Board/ Institute.

- (b) Holder of Aircraft Maintenance Engineer (AME) Licence.;

- (c) **Experience :**

(i) At least 10 years as Aircraft Maintenance Engineer.

(ii) should have at least one aircraft endorsed on Aircraft Maintenance Engineer license of the aircrafts maintained by the State Government.

- (d) Preference would be given to candidates possessing maintenance experience on fixed and rotary aircrafts and experience in managerial capacity in a Director General of Civil Aviation approved Maintenance Organisation.

3. Flight Operations Officer

- (a) Graduate with, must have passed Higher Secondary (10+2) pattern or an equivalent examination with the subject of Physics and Mathematics from recognized Board/University.

- (b) Holder of Flying Licence.

- (c) Holder of Radio Telephony Restricted (A) Licence.

- (d) At least 10 years experience to—

(i) Conduct flight operations in conformity with existing regulations and with regard to flight safety;

(ii) Maintain adequate liaison with the Director General of Civil Aviation Headquarter and Regional Offices in flight operation issues;

(iii) Monitor the quality and standards of operational documents and procedures.

- (e) Preference would be given to candidates well versed with Civil Aviation Requirements, having broad aviation / technical education and computer literate.

4. Quality Manager
- (a) Must have passed Higher Secondary (10+ 2) pattern or an equivalent examination with the subject of Physics and Mathematics from recognized Board/ Institute.
 - (b) Holder of Aircraft Maintenance Engineer Licence.
 - (c) **Experience:**
 - (i) at least 10 years aviation experience including Quality Control and Maintenance in Director General of Civil Aviation approved Maintenance Organization.
 - (ii) at least 5 years maintenance experience on fixed wing and rotary wing aircraft;
 - (iii) should have working knowledge of Civil Aviation Requirement 145.
 - (d) Preference to candidates possessing experience as a Quality Manager/ Deputy Quality Manager in maintenance organization approved by Director General of Civil Aviation
5. Flight Dispatcher
- (a) B.Sc (Aviation)

or

 Graduate in Computer Application / Computer Science / Information Technology with must have passed Higher Secondary (10 + 2) pattern or an equivalent examination with the subject of Physics and Mathematics from recognized Board/ University.
 - (b) Holder of a Flying Licence.
 - (c) Holder of Radio Telephony Restricted (A) Licence.
 - (d) Preference to candidate with good communication and written skill in English language.
6. Continuing Airworthiness Manager.
- (a) Must have passed Higher Secondary (10+2) pattern or an equivalent examination with the subject of Physics and Mathematics from recognized Board/ Institute.
 - (b) Holder of Basic Aircraft Maintenance Engineer Licence in Heavy Aircraft and Jet Engine or holder of Basic Aircraft Maintenance Engineer Licence in Rotary Aircraft and Jet Engine.
 - (c) **Experience :**
 - (i) at least 5 years experience in Quality and Maintenance in Director General of Civil Aviation approved organization.
 - (ii) Knowledge of the fleet maintained by the State Government.
7. Flight Operations Assistant
- (a) Graduate with Computer from a recognized University.
 - (b) Atleast two years experience in similar capacity in Director General of Civil Aviation approved Aviation Organization having knowledge of Director General of Civil Aviation rules and related paper work."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव.

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2015

एफ. 12-2/2014/सात/2ए.—नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित किए गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि उक्त प्रारूप नियम के संबंध में, किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2015 है।
 - (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।
 - (3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013);
 - (ख) 'प्रारूप' से अभिप्रेत है इन नियमों से अनुलग्न प्रारूप;
 - (ग) 'ग्रामीण क्षेत्र' से अभिप्रेत है नगरीय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र;
 - (घ) 'धारा' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
 - (ङ) 'नगरीय क्षेत्र' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) के अधीन नगरीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित क्षेत्र।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन.— (1) कलक्टर, प्रत्येक परियोजना के लिए सरकारी पदधारियों/या सामाजिक समाघात निर्धारण में स्रोत, भागीदारों और व्यवसायों की योग्य संस्थाओं में से सामाजिक समाघात निर्धारण दल (एस आई ए) का गठन करेगा और जहां वह आवश्यक समझता है, उन्हें दल की सहायता के लिए भी नियुक्त किया जा सकेगा, दल का प्रमुख डिप्टी कलक्टर की पद श्रेणी से निम्न पदश्रेणी का नहीं होगा, किन्तु वह कलक्टर के कार्यालय की भू-अर्जन शाखा का प्रभारी नहीं होगा।

(2) कलक्टर अध्ययन की प्रक्रिया के दौरान दल के किसी भी सदस्य को बदल सकेगा।

(3) यदि किसी भी प्रकम पर यह पाया जाता है कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के परिवार का कोई सदस्य अपेक्षक निकाय या परियोजना के अन्य पणधारी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त करता है तो उक्त सदस्य अयोग्य हो जाएगा।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए अधिसूचना.— कलक्टर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के कार्यान्वयन के लिए अधिनियम की धारा 4 के अधीन इन नियमों संलग्न प्ररूप—क में यथा उल्लिखित अधिसूचना जारी करेगा।

5. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन.— (1) सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार संचालित किया जाएगा।

(2) सामाजिक समाघात रिपोर्ट सरकार को प्ररूप—ख, में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्ररूप—ग के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए जन सुनवाई .— (1) जनसुनवाई, कलक्टर के विवेक पर एक या अधिक स्थानों पर आयोजित की जा सकेगी।

(2) सामाजिक समाघात प्रतिवेदन रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रारूप प्रभावित क्षेत्र में हिन्दी में पुस्तिका रूप में परिचालित किया जाएगा और यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर पालिक निगम तथा जिला कलक्टर के कार्यालयों में भी उपलब्ध कराया जाएगा। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के प्रारूप की एक प्रति अपेक्षक निकाय को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) जन सुनवाई के पश्चात् सामाजिक समाघात निर्धारण दल प्राप्त फीडबैक तथा जन सभाओं में एकत्रित जानकारी का विश्लेषण करेगा तथा सारांश को अपने विश्लेषण के

साथ कलक्टर को प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में समाहित करेगा ।

- (4) अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के साथ परामर्श, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (क. 40 सन् 1996) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।
- 7 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का किसी विशेषज्ञ समूह द्वारा आंकलन.— अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा और अपने गठन की तारीख से दो माह के भीतर तदर्थक अपनी अनुशंसाएं देगा ।
- 8 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंध योजना और विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाओं का प्रकाशन.— सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंध योजना और विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाएं हिन्दी में तैयार कर संबंधित जिले की वेबसाइट में अपलोड करके प्रकाशित की जाएंगी और यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिक निगम और कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार के कार्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसे प्रकाशन की सूचना प्रभावित क्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी और प्रभावित क्षेत्र में किन्हीं दृश्यमान स्थलों पर चस्पा की जाएगी ।
- 9 पूर्व सहमति अभिप्राप्त करना.— धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए,—
- (क) कलक्टर प्ररूप-घ में सूचना जारी करेगा;
- (ख) सूचना यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सूचना पटल पर या नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका या नगर पालिक निगम के सूचना पटल पर तथा कलक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाएगी ।
- (ग) सहमति या असहमति प्ररूप-ड में सूचित की जाएगी ।
- (घ) सहमति या अन्यथा की प्रस्तुति के लिए नियत समय के अवसान के बाद, कलक्टर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित सहमति प्राप्त हुई या नहीं के संबंध में अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।
- 10 प्रशासक की शक्ति, कर्तव्य और दायित्व.— प्रशासक निम्नानुसार शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन करेगा :-
- (क) प्रभावित परिवारों की गणना और सर्वेक्षण का संचालन करना;
- (ख) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार करना;

- (ग) नियम 9 में यथाविहित रीति में प्रारूप स्कीम को प्रकाशित करना;
- (घ) प्रारूप स्कीम पर जन सुनवाई का आयोजन करना और संचालन करना;
- (ङ) प्रारूप स्कीम पर सुझाव और टिप्पणी देने के लिए अपेक्षक निकाय को अवसर प्रदान करना;
- (च) यथोचित रूप से उपांतरित प्रारूप स्कीम को अनुमोदन के लिए कलक्टर को प्रस्तुत करना;
- (छ) प्रभावित क्षेत्र में अनुमोदित पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम प्रकाशित करना;
- (ज) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय तैयार करने में कलक्टर की सहायता और सहयोग करना;
- (झ) पुनर्वासन और व्यवस्थापन के कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसका पर्यवेक्षण करना;
- (ञ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के कार्यान्वयन उपरांत अंकेक्षण (पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट) में सहयोग करना; और
- (ट) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए कोई अन्य कार्य करना जिसका कि किया जाना अपेक्षित हो या जो कलक्टर द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

11 प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण तथा जनगणना.— (1) प्रशासक, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन या तो अपने स्वयं के कर्मचारिवृंद के द्वारा या किसी अन्य अभिकरण को बाह्यस्रोतों के माध्यम से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण करवाएगा या जनगणना का जिम्मा लेगा । सर्वेक्षण और जनगणना का कार्य सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट और शासकीय अभिलेखों से संग्रहीत आंकड़ों के माध्यम से कराया जाएगा और आंकड़ों का सत्यापन आवश्यकतानुसार मैदानी सर्वेक्षण के दौरान किया जाएगा ।

(2) जहां विनिर्दिष्ट पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन चुनने का विकल्प उपलब्ध है वहां प्रभावित परिवार की सहमति परिवार के मुखिया से लिखित एवं हस्ताक्षरित कथन के रूप में सर्वेक्षण के दौरान अभिप्राप्त की जाएगी ।

(3) यह कार्य प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से जहां तक व्यावहारिक हो, तीस दिवस की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा । कलक्टर ऐसी अवधि जितनी वह ठीक समझे, बढ़ा सकेगा ।

12 पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार किया जाना.— (1) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक सर्वेक्षण पूर्ण होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार करेगा ।

(2) जहां सहमति अंतर्ग्रस्त है, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापना की स्कीम का प्रारूप प्रभावित परिवारों और अपेक्षक निकाय के बीच तय की गई पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की शर्तों और निबंधनों को विचार में लेते हुए तैयार किया जाएगा।

(3) प्रशासक द्वारा तैयार किए गये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप में, धारा 16 की उपधारा (2) में उल्लेखित विशिष्टियों के अतिरिक्त, सभी निर्माण कार्यों जिसमें स्कीम के अधीन किया जाने वाला अधोसंरचना विकास सम्मिलित हैं, को पूर्ण करने के लिए समय सीमा उपदर्शित की जाएगी।

13 प्रशासक द्वारा जन सुनवाई.— (1) प्रशासक धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन जन सुनवाई के लिए स्थान, दिनांक एवं समय नियत करेगा।

(2) जन सुनवाई सभी ग्राम सभाओं में जहां भूमि के अर्जन द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित सदस्य पच्चीस प्रतिशत से अधिक हैं, संचालित की जाएगी :

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम सभा में जन सुनवाई संचालित की जाएगी।

(3) जन सुनवाई की तारीख और स्थान पंद्रह दिन पूर्व लोक अधिसूचना द्वारा सभी प्रभावित ग्रामों/नगर पालिकाओं/नगर पालिक निगम के प्रभावित वार्ड में उद्घोषित एवं प्रचारित की जाएगी और ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के वार्ड प्रतिनिधियों को सीधे संसूचित की जाएगी तथा जिले की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड की जाएगी।

14 अपेक्षक निकाय द्वारा जमा कराया जाना.— अपेक्षक निकाय द्वारा अर्जन के खर्च की अनुमानित राशि की पचास प्रतिशत राशि कलक्टर के पास जमा की जाएगी। यदि अपेक्षक निकाय इसे जमा करने में विफल होता है तो अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अंतर्गत कोई घोषणा नहीं की जाएगी :

परन्तु यदि अपेक्षक निकाय राज्य सरकार है तो अनुमानित राशि कलक्टर की मांग के अनुसार जमा की जाएगी।

15 आधिक्य राशि की वसूली.— जहां धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन किए गये सुधार के परिणामस्वरूप यह सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति को अधिक राशि का भुगतान किया गया है, ऐसी भुगतान की गई आधिक्य राशि वापिस करने के दायित्वाधीन होगी और किसी व्यक्तिक्रम या भुगतान से इन्कार करने की दशा में ऐसी राशि भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी। ऐसी राशि की वसूली के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अध्याय ग्यारह में यथाविहित प्रक्रिया और उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन किया जाएगा।

16 ग्राम सभा की पूर्व सहमति.— संविधान की पांचवी अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों में, भूमि के अर्जन के सभी मामलों में संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्रारूप-च में अभिप्राप्त की जाएगी।

- 17 विकास योजना का स्वरूप.— अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के परिवारों के अस्वेच्छक विस्थापन के लिए विकास योजना धारा 41 की उपधारा (4) के अधीन तैयार की जाएगी।
- 18 मिथ्या दावा करके प्राप्त किए गये लाभों की वसूली.— यदि मिथ्या दावा करके या कपटपूर्ण साधन के माध्यम से कोई पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभ प्राप्त किया जाता है तो यह वसूली के दायित्वाधीन होगा और उसके भुगतान से किसी इन्कार की दशा में यह भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जाएगा। ऐसी राशि की वसूली के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अध्याय ग्यारह में यथाविहित प्रक्रिया और उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन किया जाएगा।

प्ररूप—क
(नियम 4 देखिए)

राज्य सरकार, प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम/वार्ड स्तर पर, यथास्थिति, संबंधित पंचायत/नगर पालिका/नगर पालिक निगम के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

- (1) परियोजना विकासक का नाम
- (2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
- (3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण
- (4) भूमि के विवरण
 - (क) जिला
 - (ख) तहसील
 - (ग) ग्राम
 - (घ) कुल प्रभावित क्षेत्र
 - (ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र
- (5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
- (6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
- (7) क्या ग्राम सभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख

कलक्टर

जिला.....

प्ररूप—ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1. परियोजना का नाम
2. लोक प्रयोजन
3. स्थल
4. परियोजना का क्षेत्र
5. विकल्प जिन पर विचार किया गया
6. परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित
7. परियोजना निर्माण के चरण
8. परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे
9. परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि
10. भूमि का मूल्य
11. प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के अनुसार)
12. परिसम्पत्तियां—

लोक सम्पत्ति— भूमि	भवन.....	अन्य
निजी सम्पत्ति— भूमि	भवन.....	अन्य
13. विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या

जिनकी भूमि अर्जित हुई —	ग्राम/वार्ड	परिवारों की संख्या			
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग	
जिनके मकान अर्जित हुए —	ग्राम/वार्ड	परिवारों की संख्या			
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग	
14. सामाजिक समाघात
 - (क) समाघातों का विवरण
 - (ख) समाघातों की संकेतक सूची
15. विकल्प जिन पर विचार किया गया

क. यदि हां — तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई?

ख. यदि नहीं – तो क्यों?

16. निष्कर्ष

प्ररूप—ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय –

- (1) प्रभावित परिवारों की जीविका
- (2) लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ
- (3) आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन
- (4) जल-मल निकासी एवं स्वच्छता
- (5) पेयजल के स्रोत
- (6) पशुओं के लिए जलस्रोत
- (7) सामुदायिक तालाब
- (8) जन सुविधाएं (जैसे- पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं श्मशान)
- (9) वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।
- (10) अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति-उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।

प्ररूप—घ

(नियम 9 देखिए)

पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए प्ररूप

1. परियोजना का नाम
2. परियोजना का प्रयोजन
3. अनुमानित पूर्णता अवधि (महीनों में)
4. प्रभावित क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण (ग्राम, ग्रामों की संख्या, वार्ड आदि)
5. परियोजना के लिए अपेक्षित अनुमानित भूमि
 - (क) सरकारी भूमि,
 - (एक) वन भूमि;

- (दो) गैर वन भूमि;
 (ख) निजी भूमि :
 (ग) निजी सम्पत्ति (भूमि से भिन्न) :
 (घ) लोक सम्पत्ति (भूमि से भिन्न) :

6. प्रभावित परिवारों की संख्या (भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति के धारक)
 7. प्रभावित परिवार द्वारा सहमति या सहमति से इन्कार प्ररूप-ड में कलक्टर को दिनांक...
 (दिनांक जो सूचना जारी किए जाने से 2 सप्ताह से कम की नहीं होनी चाहिए)
 या उसके पूर्व निम्न पते पर जमा कर प्रस्तुत की जाएगी :-

.....

प्ररूप-ड

(नियम 9 देखिए)

सहमति या सहमति से इन्कार के लिए प्ररूप

मैं.....आयु.....वर्ष.....पुत्र/पुत्री/पत्निनिवासी.....
 परियोजना से निम्नानुसार प्रभावित हूँ :-

- (क) मैं प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में स्थावर सम्पत्ति का धारक हूँ
 (ख) मैं प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में किसी स्थावर सम्पत्ति का धारक नहीं हूँ, किन्तु मैं प्रभावित परिवार हूँ और मेरे निम्नानुसार अन्य हित हैं :-

.....

2. मैं उपरोक्त परियोजना के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

अथवा

मैं निम्न कारणों से उपरोक्त परियोजना के लिए अपनी सहमति देने से इन्कार करता हूँ :

.....

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

प्ररूप—च
(नियम 16 देखिए)
ग्राम सभा संकल्प के लिए फार्मेट

हम, ग्राम सभा..... ग्राम पंचायत तहसील.....जिला
.....के अधोहस्ताक्षरकर्ता सदस्य प्रशासन और अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई
जानकारी के आधार पर यह कथन करते हैं कि यह ग्राम सभा प्रस्तावित
परियोजना पर, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, सहमति/असहमति देती है;

- (1) हैक्टर निजी भूमि का अर्जन
- (2) परियोजना के लिए हैक्टर शासकीय भूमि का अंतरण; और
- (3) परियोजना के लिए हैक्टर वन भूमि का अंतरण

दिनांक

ग्राम सभा के सदस्यों के
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

दिनांक

संकल्प की प्राप्ति पर
पदाभिहित जिला अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी— जो लागू न हो उसे काट दें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

दिनांक 29 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ. 12-2/2014/सात/2ए. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के
अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 12-2/2014/सात/2ए. दिनांक 27.04.2015
का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th April 2015

No. F 12-2/2014/VII/Sec.2A- The following draft rules, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 109 of the Right to fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013) is hereby published as required by section 112 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of rules shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of rules before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT RULES

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015.
 - (2) They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.
 - (3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires:-
 - (a) 'Act' means the Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013);
 - (b) 'Form' means forms appended to these rules;
 - (c) 'Rural Area' means the area other than urban area;
 - (d) 'Section' means the section of the Act;
 - (e) 'Urban Area' means the area defined as urban area under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
3. **Selection of the social impact assessment team.-** (1) The Collector shall constitute the Social Impact Assessment (SIA) team for each project from amongst Government officials/or qualified institutions in social impact assessment resource, partners and practitioners which may also be appointed to assist the team where he feels necessary. The team leader shall not be below the rank of Deputy Collector but he shall not be in charge officer of the land acquisition section of the office of the Collector.
 - (2) The Collector may change any team member during the process of study.
 - (3) If, it is found at any stage that any team member or any family member of the team member receives any benefit directly or indirectly from the requiring body or any other stakeholder of the project, the said member shall be disqualified.

4. Notification for social impact assessment.- The Collector shall issue the Notification under section 4 of the Act, for carrying out the Social Impact Assessment Study as mentioned in Form-A appended to these rules.

5. Social impact assessment study.- (1) The social impact assessment study shall be conducted in accordance with sub-section (1) of section 4.

(2) The social impact assessment report shall be submitted to the Government in Form-B alongwith the Social Impact Management Plan in Form-C appended to these rules.

6. Public hearing for social impact assessment.- (1) Public hearings may be conducted at one or more places at the discretion of the Collector.

(2) The draft of social impact assessment report and the Social Impact Management Plan shall be circulated in the affected area in booklet form in hindi language and shall be made available to the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and also to the offices of the District Collector. A copy of the draft of social impact assessment report and the social impact management plan shall be provided to the requiring body.

(3) The social impact assessment team, after public hearing, shall analyse, the feedback recovery and information gathered in the public meetings and incorporate the gist alongwith their analysis in the social impact assessment report to be submitted to the Collector.

(4) Consultation with the Gram Sabhas in the Scheduled areas shall be in accordance with the provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (No. 40 of 1996)

7. Appraisal of social impact assessment report by an expert group.- The Expert Group constituted under sub-section (1) of section 7 of the Act shall evaluate the social impact assessment report and shall make its recommendation to that effect within a period of two months from the date of its constitution.

8. Publication of social impact assessment report, social impact management plan and recommendations of expert group. - The social impact assessment report, social impact management plan and recommendations of expert group prepared in Hindi shall be published by way of uploading them in the website of district concerned and shall be made available to Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be and to the offices of the Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tahasildar, also the notice of such publication shall be publicized in two daily newspapers circulated in the affected area and also affixing at some conspicuous places in the affected area.

9. Obtaining prior consent.- For the purpose of obtaining prior consent of affected families as required under sub-section (2) of section 2,-

(a) Collector shall issue a notice in Form-D.

(b) The notice shall be displayed on the notice board of Gram Panchayat, Janpad Panchayat and Zila Panchayat for rural areas and notice board of Municipality or Municipal Corporation for urban areas, as the case may be and also on the notice board at the Collectorate.

(c) The consent or denial to consent shall be conveyed in Form-E.

(d) After expiry of the time for submission of consent or otherwise, Collector shall record his findings as to whether the requisite consent under sub section (2) of section 2 of the Act has been received or not.

10. Power, duties and responsibilities of the administrator.- The Administrator shall exercise the powers and perform the duties and have the responsibilities as follows-

- (a) to conduct a survey and undertake a census of the affected families;
- (b) to prepare a draft rehabilitation and resettlement scheme;
- (c) to publish the draft scheme in same manner as prescribed in rule 9;
- (d) to organize and conduct public hearings on the draft scheme;
- (e) to provide an opportunity to the requiring body to make suggestions and comments on the draft scheme;
- (f) to submit the modified draft scheme suitably to the Collector for approval;
- (g) to publish the approved rehabilitation and resettlement scheme in the affected area;
- (h) to help and assist the Collector in preparing the rehabilitation and resettlement award;
- (i) to monitor and supervise the implementation of the rehabilitation and resettlement award;
- (j) to assist in post-implementation audit of rehabilitation and resettlement; and
- (k) any other work required to be done or assigned to him by the Collector for rehabilitation and resettlement.

11. Survey and census of affected families.- (1) Administrator, Rehabilitation and Resettlement under sub-section (1) of section 16 of the Act shall conduct a survey and undertake a census of the affected families either by his own staff or by out-sourcing from any agency. The survey and census work may be conducted by way of collecting data from the social impact assessment study report and Government records and verification of data as necessary during field survey.

(2) Where the option of choosing specific rehabilitation and resettlement entitlement is available, option of the affected families shall be obtained during the survey which shall be in the form of written statement signed by the Head of the affected family.

(3) This work shall be completed as far as practicable within a period of thirty days from the date of publication of the preliminary notification. The Collector may extend such period as he deem fit.

12. Preparation of draft rehabilitation and resettlement scheme.- (1) The Administrator Rehabilitation and Resettlement Scheme shall prepare the draft of rehabilitation and resettlement Scheme within a period of thirty days from the date of completion of survey.

(2) Where consent is involved, the draft of rehabilitation and resettlement scheme shall be prepared by taking into account the negotiated terms and conditions of rehabilitation and resettlement Scheme reached between the requiring body and the affected families.

(3) The draft of rehabilitation and resettlement Scheme prepared by the Administrator shall in addition to the particulars mentioned in the sub-section (2) of section 16, indicate the time plan for completion of all construction works including the infrastructural developments to be provided as per the Scheme.

13. Public hearing by administrator.- (1) The Administrator shall fix a date, time and venue for public hearing under sub-section (5) of Section 16.

- (2) Public hearings shall be conducted in all Gram Sabhas where more than twenty-five percent of the members are directly or indirectly affected by the acquisition of the land:

Provided that the public hearing shall be conducted in each and every Gram Sabha in Scheduled Areas.

- (3) The date and venue of the public hearing must be announced and publicized fifteen days in advance through public notifications in all the affected villages/municipality/affected ward of Municipal Corporation and through direct communication with Gram Panchayat or Municipal Ward representatives and by uploading the information on the website of the district.

- 14. Deposits to be made by the requiring body.-** Fifty percent of the estimated amount of the cost of acquisition shall be deposited by the requiring body with the Collector. If requiring body fails to deposit the same, no declaration shall be made under sub-section (2) of Section 19 of the Act:

Provided that if the requiring body is the State Government, the deposits of the estimated amount may be made as per demand of the Collector.

- 15. Recovery of excess amount.-** Where any excess amount is proved to have been paid to any person as a result of the correction made under sub-section (1) of Section 33, the excess amount so paid shall be liable to be refunded and in the case of any default or refusal to pay, the said amount shall be recovered as an arrear of land revenue. The procedure for recovery of such amount shall be followed as prescribed in Chapter XI of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and rules made thereunder.

- 16. Prior consent of Gram Sabha.-** In all cases of acquisition of land in Scheduled Area under the Fifth Schedule of the Constitution, prior consent of the concerned Gram Sabha shall be obtained in Form-F.

- 17. Form of development plan.-** The development plan for involuntary displacement of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes families in Scheduled Areas, under sub-section (4) of Section 41, shall be prepared.

- 18. Recovery of benefits availed of by making false claim.-** If any rehabilitation and re-settlement benefit is availed of by making a false claim or through fraudulent means, it shall be liable to be recovered and in case of any refusal to pay the same, shall be recovered as an arrear of land revenue. The procedure for recovery of such amount shall be followed as prescribed in Chapter XI of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and rules made thereunder.

FORM – A

(see rule-4)

The State Government intends to acquire the following lands in consultation with the concerned Panchayat / Municipality / Municipal Corporation, as the case may be, at village / ward level, in the affected area and carry out a Social Impact Assessment study for public purpose. The study shall be undertaken as per the provisions of section 4 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013).

- (1) Name of project developer :

- (2) Purpose of proposed acquisition of land:
- (3) Details of Social Impact Assessment team to undertake the study:
- (4) Land details:
 - (a) District
 - (b) Tehsil
 - (c) Village
 - (d) Total affected area
 - (e) Area to be acquired
- (5) Brief description of the proposed project:
- (6) The project area and the affected areas:
- (7) Whether consent of Gram Sabhas and/or land owners is required?
- (8) The date of completion of Social Impact Assessment

Collector

District

FORM – B

(see rule-5)

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT REPORT

- 1- Name of the Project
- 2- Public purpose
- 3- Location
- 4- Area of the Project
- 5- Alternatives considered
- 6- Background of the project, including developer's background and governance
- 7- Phases of project construction
- 8- Maps showing area of impact under the project
- 9- Total land requirement for the project.
- 10- Land prices
- 11- Number of families affected (according to clause (c) of Section 3 of the Act)
- 12- Properties-

Public property- land.....	buildings.....	other.....
private property- land.....	buildings.....	other.....
- 13- No. of families likely to be displaced

- Whose land acquired				
village/ward		No. of families		
	Scheduled Castes/	Scheduled Tribes	Others	Total
- Whose house acquired				
village/ward		No. of families		
	SC	ST	Others	Total
- 14- Social Impacts:
 - (a) Description of impacts

(b) Indicative list of impacts

15- Alternatives considered:

- a. If yes- why the present proposal is preferred
- b. If no- why?

16- Conclusion:

Form – C
(see rule-5)

SOCIAL IMPACT MANAGEMENT PLAN

Ameliorative measures required to be undertaken for addressing the impact on:

- (1) Livelihood of the affected families
- (2) Public and community properties
- (3) Assets and infrastructure particularly roads and public transport
- (4) Drainage and sanitation
- (5) Sources of drinking water
- (6) Sources of water for cattles
- (7) Community ponds
- (8) Public utilities (such as post offices, fair price shops, electricity supply, health care facilities, schools, anganwadis, children parks and burial and cremation grounds)
- (9) Measures that Requiring Body has stated it will introduce in the Project Proposal
- (10) Additional measures that Requiring Body has stated it will undertake in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings

Form – D
(see rule-9)

FORM FOR SEEKING PRIOR CONSENT

- (1) Name of the project
- (2) Purpose of the project
- (3) Estimated completion time (in months)
- (4) Brief description of area affected (Village, No. of Villages, Wards etc.).
- (5) Estimated Land required for the project -
 - (a) Government land,
 - (i) Forest land;
 - (ii) Non Forest land.

- (b) Private land :
- (c) Private property (other than land) :
- (d) Public Property (other than land):
- (6) Number of affected families (holders of land or other immovable property):
- (7) The consent or refusal to consent by affected family shall be submitted in Form-E to the Collector on or before (date which should not be less than 2 weeks from the issue of this notice) by depositing at the following address .
-
-
-

Form -E
(see rule-9)

FORM FOR CONSENT OR DENIAL OF CONSENT

Iaged aboutyears son of resident of is affected from the project as:-

- (a) I am a holder of immovable property in the proposed project area;
- (b) I do not hold any immovable property in the proposed project area but I am affected family and have other interests as below:-
-
-

2. I express my consent for the above project.

or

I refuse to give my consent for the above project for the following reasons:

.....

.....

Signature

Name

Date :

Form – F
(see rule-16)

FORMAT FOR GRAM SABHA RESOLUTION

We, the undersigned members of the Gram Sabha of _____ within _____ Panchayat of _____ Tahsil in District _____ states that on the basis of information supplied by the administration and officials, this Gram Sabha hereby certifies that it ***consents / *refuses to consent** to the proposed _____ project, which will involve;

- (1) acquisition of _____ hectares of private land;
- (2) transfer of _____ hectares of Government land to the project; and
- (3) transfer of _____ hectares of forest land to the project.

Date:

Signatures/thumb impressions of
Gram Sabha members

Date:

Signature of Designated District Officer on
receipt of the Resolution

N.B.- *-Strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.